पश्चिम रेलवे

पी.एस.सं.104/2012

प्रधान कार्यालय,
चर्चगेट, मुंबई.

सं. ईपी 1025/33 भाग V

दि.10-10-2012

सभी मं.रे.प्र. /मु.का.प्र. और युनिट इनचार्ज .
प्रति : महामंत्री- वे.रे.ए.यू.-ग्रांटरोड/वे.रे.म.सं.-मुंबई सेंट्रल.
प्रतिः महामंत्री- ऑल इंडिया एस सी/एस टी रेल्वे एम्प्लाइज एसोशिएशन 'वेस्ट' झोन,मुंबई .
प्रतिः महामंत्री- ऑल इंडिया ओ.बी.सी.रेल्वे एम्प्लाइज एसोशिएशन , मुंबई.

विषय : छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख और इसे लागू करने की तारीख के बीच हुई पदोन्नतियों तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसरण में विलय किए गए ग्रेडों में कर्मचारियों की वरिष्ठता की स्थिति ।

****

रेलवे बोर्ड के दिनांक 26.09.2012 के पत्र सं.ई(एन जी) I-2009/पी एम-1/4 (आर बी ई सं.107/2012)की प्रतिलिपी (हिन्दी वर्जन) सुचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए संलग्न है ।

संलग्न : यथोक्त

(एस कडेमणी)
कृते महाप्रबंधक (स्था)

<u>आरबी स्था. सं.107/2012</u>

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई (एनजी)-I/2009/पीएम-1/4 नई दिल्ली, 26.09.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां.
<u>(मानक सूची के अनुसार)</u>

<u>विषय</u>: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख और इसे लागू करने की तारीख के बीच हुई पदोन्नतियों तथा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसरण में विलय किए गए ग्रेडों में कर्मचारियों की वरिष्ठता की स्थिति।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख और इसे लागू करने की तारीख के बीच हुई पदोन्नतियों और उस मामले, जिसमें छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में दो या इससे अधिक संशोधन-पूर्व ग्रेडों का विलय करके एक कॉमन ग्रेड पे में रखा गया हो, में कर्मचारियों की वरिष्ठता की स्थिति का मुद्दा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपी एंड टी) के परामर्श से रेल मंत्रालय में विचाराधीन रहा है।

इस मामले की अब जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि उन ग्रेडों जिनका छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में विलय किया गया है, के पदधारी कर्मचारियों की पदोन्नतियों और वरिष्ठता की स्थिति का निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(i) 01.01.2006 से 04.09.2008 (रेलों पर छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की तारीख) के बीच हुई पदोन्नतियों को यथावत रखा जाएगा क्योंकि इन्हें उस समय मौजूद सांविधिक नियमों के उपबंधों के अनुसार रखा गया था। छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पद (पदों) के वेतनमान (वेतनमानों) का विलय 01.01.2006 से प्रभावी हुआ है; सरकारी कर्मचारी की 04.09.2008 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठता को बनाए रखा जाएगा, अर्थात् उच्चतर वेतनमान वाले या वह पद जो फीडर ग्रेड में पदों के लिए पदोन्नति पद था, के पदधारी निम्नतर वेतनमान वाले या फीडर ग्रेड के पदों के पदधारियों से सामूहिक रूप से वरिष्ठ होंगे।

(ii) जहां छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले विभिन्न वेतनमान वाले पदों को अब विलय करने के बाद एक ही ग्रेड पे के साथ एक ही पे बैण्ड में रखा गया है, उन मामलों में संशोधन पूर्व के निम्नतर वेतनमान के कर्मचारी की तुलना में उच्चतर वेतनमान वाले कर्मचारी को उच्चतर वरीयता प्रदान करके सभी कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता को पूर्णतः बनाए रखा जाएगा। संशोधन

पूर्व का वेतनमान समान होने की स्थिति में संशोधन से पूर्व मौजूद वरिष्ठता जारी रहेगी।

(iii) जहां संशोधन से पूर्व विभिन्न वेतनमान (वेतनमानों) के पदों के लिए भर्ती, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने से पूर्व अर्थात् 04.09.2008 से पूर्व प्रत्येक पद के लिए अलग से की गई थी परन्तु चयन किए गए उम्मीदवार ने उन पदों, जिन्हें एक ही ग्रेड पे प्रदान किया गया है, के लिए संशोधित वेतनमान (वेतनमानों) में 05.09.2008 को अथवा इसके बाद ड्यूटी ज्वाइन की हो, ऐसे कर्मचारियों को उन कर्मचारियों, जो 04.09.2008 को पद पर थे, के नीचे सामूहिक रूप से वरिष्ठता दी जाएगी।

(iv) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा दिए गए पदोन्नति के पैनल या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई चयन सूची के आधार पर नामित किए गए कर्मचारियों के उपलब्ध होने का निर्णय 04.09.2008 की स्थिति के अनुसार किया जाएगा। यदि डीपीसी द्वारा दिए गए पैनल या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई चयन सूची में उल्लिखित किसी कर्मचारी ने 04.09.2008 को या इससे पूर्व कार्यभार ग्रहण किया है, तो डीपीसी या चयन सूची द्वारा दिए गए पैनल में शामिल सभी कर्मचारियों की स्थिति को बनाए रखा जाएगा और सभी कर्मचारियों को उपलब्ध माना जाएगा तथा उनकी वरिष्ठता का निर्धारण वरिष्ठता के मूल सिद्धांत अर्थात् डीपीसी द्वारा दिए गए पैनल के आदेश या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई मेरिट सूची का पालन करते हुए किया जाएगा। यदि डीपीसी द्वारा दिए गए पैनल या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई चयन सूची में शामिल सभी कर्मचारी 04.09.2008 के बाद कार्यभार ग्रहण करते हैं तो समान ग्रेड में ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण 04.09.2008 को उपलब्ध सभी कर्मचारियों के नीचे उन्हें रखते हुए किया जाएगा परन्तु डीपीसी के पैनल के आदेश या प्रवरण बोर्ड द्वारा दी गई मेरिट सूची के क्रम से उनकी परस्पर वरिष्ठता को बनाए रखा जाएगा।

विलय किए गए एमटीएस पदों को छोड़कर वरिष्ठता के निर्धारण के सभी मामलों का तदनुसार निर्णय किया जाएगा। विलय किए गए एमटीएस (पूर्ववर्ती ग्रुप 'डी') पदों की वरिष्ठता के निर्धारण के मुद्दे पर अलग से कार्रवाई की जाएगी।

कृपया पावती दें।

(आर. मुकुंदन)
कार्यपालक निदेशक स्थापना (अराजपत्रित)
रेलवे बोर्ड